रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED No. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2, 1983 (चैत्र 12, 1905)
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2, 1983 (CHAITRA 12, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	331
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	429
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	383
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	841
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	1695
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	—
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	149
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	6479
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	205
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	53
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2175
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	59
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

1—1 GI/83

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	331
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	429
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	383
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	841
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1695
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative tests in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	—
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	149
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6479
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	205
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	53
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2175
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	59
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1983

सं० 25–प्रेज/83––राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री उमा शंकर बाजपेयी,
पुलिस अधीक्षक,
जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश ।

श्री ध्रुवलाल यादव,
पुलिस उप निरीक्षक,
स्टेशन आफिसर कालपी,
जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश ।

श्री रामायणसिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
स्टेशन आफिसर कादुरा,
जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश ।

श्री विनोद कुमार उदेनिया,
सैकन्ड आफिसर, थाना भोगनीपूर,
जिल कानपुर, देहात,
उत्तर प्रदेश ।

श्री धर्म राज राय,
कांस्टेबल 15674,
डी-कम्पनी, 11 बटालियन, प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस,
सीतापुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किये गये ।

23 फरवरी, 1981 को लगभग 19.00 बजे, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि डकैत फूलन देवी और डकैत बलवान के गिरोह गांव बारखेरा के नजदीक छिपे हुए थे । सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल को एकत्रित किया गया और उसे 6 दलों में विभाजित कर दिया गया । इनमें से एक दल का नेतृत्व श्री उमा शंकर बाजपेयी, पुलिस, अधीक्षक, जिला जालौन, स्वयं कर रहे थे । घटनास्थल पर पहुंच कर पुलिस को विदित हुआ कि डकैत फूलन देवी का गिरोह बचकर भाग चुका था । पुलिस दलों ने लगभग मध्य रात्रि को मोर्चे सम्भाले । 24 फरवरी, को प्रातः लगभग 6.30 बजे डकैत बलवान के गिरोह को अरहर के खेत में देखा गया । डाकुओं को चुनौती दी गयी लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोलियों की बौछार करना शरू कर दी । उन्होंने दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की तरफ भागना शुरू कर दिया और गाँव पारासन के नजदीक मोर्चे सम्भाले, जहां वे विभिन्न पुलिस दलों के फंदों में घिर गए । श्री इन्द्रपाल चन्द, पुलिस उप अधीक्षक, ने उत्तर की तरफ से मोर्चा सम्भाला जबकि श्री उमा शंकर बाजपेयी ने डकैत गिरोह को पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम से घेरा । दक्षिण की तरफ से श्री जय दयाल चन्देल ने उन्हें घेरा । पूर्वी मोर्चा खाली था । पूर्वी मोर्चे के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को घेरने के ध्येय से मूल चन्द, श्री रामायण सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, स्टेशन आफिसर कादुरा, जिला जालौन, और श्री विनाद कुमार उदेनिया, सैकिन्ड आफिसर, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर, देहात, अपने मूल बल से अलग हो गए । श्री ध्रुव लाल यादव, पुलिस उप निरीक्षक, स्टेशन आफिसर कालपी, जिला जालौन, ने एक अलग दल बनाया और पूर्वी-दक्षिण के पूर्वी क्षेत्र की तरफ से मोर्चा सम्भाला ।

डकैत उस समय तक कच्ची ईंटों के दो समान्तर चट्टों के पीछे इटों के भट्टे के अन्दर मोर्चा सम्भाल चुके थे । उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं । बेहतर मोर्चा सम्भालने के उद्देश्य से श्री मूल चन्द, श्री रामायण सिंह और श्री उदेनिया दूसरे कच्ची ईंटों के चट्टे के पीछे मोर्चा बांधने के लिए खुले स्थान में से भागते हुए आगे लपके । श्री मूल चन्द को गोली लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मत्यु हो गयी । श्री रामायण सिंह और श्री उदेनिया फिर भी मोर्चे पर पहुंचने में सफल हो गए और डकैतों पर गोली बारी करते रहे । लेकिन जल्दी ही उनके पास बारुद समाप्त हो गया । इसी दौरान स्थिति का फायदा उठाते हुए एक डकैत रेंगते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां निरीक्षक मूलचन्द मृत पड़े हुए थे । उस डकैत ने श्री मूल चन्द की राईफल और गोला बारूद लिया और तेजी से पीछे भट्टे के गड्ढे के अन्दर वापिस भाग गया । उन्होंने पुलिस पर फिर से गोली बारी करनी शैरू कर दी । अपने साथियों की कठिनाइयों को देखकर श्री ध्रुव लाल यादव खुले मैदान में भाग कर लपके और गोला-बारूद सहित श्री रामायण सिंह और श्री उदेनिया के साथ जा मिले । श्री बाजपेयी ने भी विपरीत दिशा से इस स्थिति का जायजा लिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पश्चिमी

दिशा में ईंटों के दूसरे चट्टे के पीछे मोर्चा सम्भाला । मुठभेड़ में छः डकैत मारे गये ।

उपर्युक्त मुठभेड़ के दौरान पी०ए०सी० की ग्यारहवीं बटालियन की डी० कम्पनी के कांस्टेबल सं० 15674, श्री धर्मराज राय, श्री इन्द्रपाल चन्द के साथ थे जो एक पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे । श्री राय, श्री इन्द्रपाल चन्द के साथ रेंगते हुए खुले मैदान में गए और डकैतों पर धावा बोल दिया ।

डकैत बलवान के गिरोह के साथ मुठभेड़ में श्री उमा शंकर बाजपेयी, श्री ध्रुवलाल यादव, श्री रामायण सिंह, श्री विनोद कुमार उदेनिया तथा श्री धर्म राज राय ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा अति उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 फरवरी, 1981 से दिया जाएगा ।

सं० 26–प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना रामपुरा,
जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश ।

श्री दिनेश चन्द चतुर्वेदी,
पुलिस उप निरीक्षक, थाना माधोगढ़,
जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

21 फरवरी, 1981 को श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, थाना रामपुरा, जिला जालौन, को सूचना मिली की डकैत जगराम और उसका गिरोह गाँव उधोतपुर में श्री गणेश प्रसाद नामक एक व्यक्ति के मकान में उपस्थित थे । श्री सिंह ने तत्काल सिविल पुलिस और पी०ए०सी० बल को एकत्र किया और तेजी से घटनास्थल की तरफ गए। उन्होंने उधोतपुर गांव में गिरोह के छिपने के स्थान को घेर लिया । जब श्री सिंह डकैतों के छिपने के स्थान पर घेरा डाल रहे थे, तो डकैतों ने पुलिस पर गोला-बारी कर दी । पुलिस और डकैतों के मध्य मुठभेड़ हो गयी । बेहतर मोर्चा सम्भालने के उद्देश्य से श्री सिंह अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ मकान की टाईल की छत पर गए । डकैतों ने भी मकान की छत पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस दल ने उन्हें ललकारा । इस मुठभेड़ में दो डकैत मारे गए । शेष सात डकैत वापस मकान के अन्दर चले गए और पुलिस दल पर भारी गोली-बारी करते रहे । डकैतों ने दरवाजे के दिलहे के छेदों से भारी गोला-बारी की आड़ में मुख्य दरवाजे से भागने की कोशिश की । श्री दिनेश चन्द चतुर्वेदी, पुलिस उप निरीक्षक, थाना माधोगढ़, जिला जालौन, ने मुख्य दरवाजे पर मोर्चा सम्भाला और डकैतों पर सामने से आक्रमण किया और उन्हें मकान के भीतर रहने पर मजबूर कर दिया और डकैतों को भागने नहीं दिया । उन्होंने रेंगते हुए एक चबूतरे के पीछे मोर्चा संभाला जो संयोगवश दरवाजे के सामने था । उन्होंने डकैतों पर गोली-बारी जारी रखी । कुमुक प्राप्त की गयी । कुमुक पहुंचने के बाद डकैतों पर पुनः हमला किया गया और उन सभी को समाप्त कर दिया गया ।

डकैतों के साथ मुठभेड़ श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह और श्री दिनेश चन्द चतुर्वेदी ने उत्कृष्ट वीरता साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 फरवरी, 1981 से दिया जाएगा ।

सं० 24–प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मूल चन्द (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
जिला कानपुर, देहात,
उत्तर प्रदेश ।

श्री इन्द्रपाल चन्द,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

23 फरवरी, 1981 को सायं लगभग 7 बजे श्री इन्द्रपाल चन्द, पुलिस उप अधीक्षक, जिला जालौन, को सूचना मिली कि डाकू फूलनदेवी का गिरोह और डाकू बलवान का गिरोह क्रमशः गांव बरही और गांव बारखेड़ा के समीप छिपे हुए थे । श्री इन्द्रपाल चन्द ने पुलिस अधीक्षक को सूचित किया । वे उपलब्ध पुलिस बल को लेकर डाकुओं के छिपने की स्थान की ओर चल दिए । लेकिन पुलिस द्वारा मोर्चा लगाने से पहले ही यह मालूम हुआ कि डाकू फूलन देवी का गिरोह बचकर भाग चुका था । पुलिस दल को छः दलों में बांटा गया । श्री इन्द्रपाल चन्द पुलिस दल नं० 4 के प्रभारी थे, जिसे गांव रसूल पुर की ओर से बलवान के गिरोह के छिपने के स्थान पर छापा मारने का कार्य सौंपा गया था । अरहर के खेत में छिपे बलवान और उसके गिरोह को ढूंढ लिया गया । पुलिस ने बलवान और उसके गिरोह को ललकारा । डाकू पुलिस पर गोलियों की बौछार करने लगे । पुलिस ने भी डाकुओं पर गोलियां चलाईं । इस दौरान डाकू गांव पारासन की ओर भागे । श्री इन्द्र पाल ने खेत और खूटों को पार करके लगभग 32 कि० मी० तक डाकुओं का पीछा किया । वे इस गिरोह द्वारा अपहृत एक व्यक्ति को रिहा करवाने में सफल हुए ।

जब पुलिस दल नं० 4, 5 तथा 6 डाकुओं का पीछा कर रहे थे, तो श्री मूल चन्द को छापामार दल की मदद के लिए नहर के रास्ते

गांव पारासन के लिए भेज दिया गया। उसने बेतवा नहर पर चन्दयूत गांव की ओर से उस क्षेत्र को घेर लिया। 24 फरवरी, 1981 को प्रातः लगभग 10 बजे तक जब डाकू नहर को पार करना चाहते थे, तो पुलिस दल ने उन्हें ललकारा तब डाकुओं ने ईंटों के भट्टे के एक गड्ढे में शरण ली। पुलिस और डाकुओं के बीच कुछ समय तक गोली-बारी जारी रही। कुछ समय बाद श्री मूल चन्द दो पुलिस निरीक्षकों के साथ गड्ढे के पास कच्ची ईंटों के एक चट्टे की ओर लपके ताकि वे वहां से डाकुओं पर प्रभावकारी ढंग से गोली चला सकें। जब पुलिस दल भाग कर खुले में कच्ची ईंटों के चट्टे की ओर लपका तो डाकुओं ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली श्री मूल चन्द के पैर में लगी और वे खुले में जमीन पर गिर पड़े। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उन्होंने डाकुओं पर दो गोलियां चलाईं। डाकुओं की ओर से "मर गया" की आवाज सुनाई दी। इस बीच एक गोली श्री मूल चन्द के सिर में लगी और वे घटनास्थल पर वीरगति को प्राप्त हो गए।

उत्तर दिशा की ओर श्री इन्द्रपाल चन्द पेट के बल रेंगकर खुले में गये और डाकुओं पर धावा बोल दिया। मुठभेड़ में छः डाकू मारे गये।

डाकुओं के साथ मुठभेड़ में श्री इन्द्रपाल चन्द और श्री मूल चन्द ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और असाधारण कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 फरवरी 1981 से दिया जाएगा।

सु० नील कण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1983

फा० सं० ए० 11013/1/81-प्रशा०-I—भारत सरकार ने आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग, जो इस सचिवालय के 5-3-81 के संकल्प सं० 6/3/1/81-मंत्रि० द्वारा दो वर्ष के लिए गठित किया गया था, की अवधि को 30-6-83 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2. सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग 1-7-83 से और एक वर्ष के लिए श्री लक्ष्मीकान्त झा की अध्यक्षता में एक-व्यक्ति आयोग के रूप में जारी रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

आर० परमेश्वर, संयुक्त सचिव,
मंत्रिमंडल

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1982

सं० 10/1/83-सी० एस०-II—(कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1983 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" के लिये प्रवर सूचियों में सम्मिलित करने के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवर सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्ति की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञाप्ति में बता दी जायेगी।

भरी जाने वाली रिक्तियों में, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है:—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित (संविधान) जम्मू और काश्मीर (अनुसूचित जाति) आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा-संशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दीव (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ली जायेगी।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4 पात्रता की शर्तें—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का श्रेणी "घ" या श्रेणी-III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थाई अथवा अस्थाई अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता करने का पात्र होगा। अर्थात, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-III के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-II की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड घ के आशुलिपिक

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "ख" के आशुलिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे।

(क) सेवा की अवधि—इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में नियमित तारीख, अर्थात् 1-1-1983 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा होनी चाहिये:—

टिप्पणी—ग्रेड-घ के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप संवर्ग की श्रेणी-III/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी में "घ" प्रतियोगितात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम नियमित तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व घोषित हुए होने चाहिएं और उस श्रेणी में उसकी कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिये।

(ख) आयु—उसकी आयु पहली जनवरी, 1983 को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अर्थात् वह 2 जनवरी, 1933 से पहले पैदा नहीं हुआ हो।

(ग) उपरनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 26 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 26 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार श्री लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका में भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम 3 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम 8 वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हो, तो अधिकतम 3 वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो तथा केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे, और इथियोपिया से प्रव्रजित हो, तो अधिकतम 8 वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक;

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xiii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों।

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई 1975 से पहले नहीं आया है, तो उसके मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक; और

(xv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा वह भारत में जुलाई, 1975 से पहले नहीं आया हो और वह किसी अनुसूचित या आदिम जाति का हो, तो उसके मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जायेगी।

(ख) आशुलिपिक परीक्षा:—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड घ/ग्रेड-III में स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिये आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिये।

टिप्पणी : ग्रेड घ या ग्रेड-III के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III से धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, वे परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड घ/ग्रेड-III में उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं

होती जो स्थानान्तरित रूप में संघर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गये हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड घ/ग्रेड-III में धारणाधिकार न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

7. उम्मीदवार को आयोग की विज्ञप्ति के पैरा 5 में निर्धारित शुल्क देना होगा।

8. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने:—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश करने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है; बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

9. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से चार अलग सूचियां बनाई जायेंगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्राप्त समझेगा उनके नाम अपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारती विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये सिफारिश करेगा।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिये मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई भी रैंक क्यों न हो बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की चयन सूची में शामिल करने के लिये योग्य हों।

टिप्पणी:उम्मीदवारों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड ग/ग्रेड-II, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाये।

10. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उससे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि संघर्ग प्राधिकारी, ऐसी छानबीन के बाद जो आवश्यक समझी जाए, संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र के विचार से चयन के लिये सब प्रकार से उपयुक्त है।

12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवायें उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड-III या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ में धारणाधिकारी न हो, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तथापि, यह ग्रेड-घ/ग्रेड-III के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

एच० जी० मंडल, अवर सचिव

लिखित परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक के लिये दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	1-1/2 घंटे	50
(2) निबन्ध	1-1/2 घंटे	50
(3) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए) 200 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकण मशीन से लिप्यंतरित करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी मशीन लानी होगी।

भाग ग—ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किए जाएंगे, अधिकतम —100 अंक

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिये गये के अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (II) निबन्ध और (III) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने की छूट है और उपर्युक्त दोनों प्रश्न पत्रों के लिए एक ही माध्यम (अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी) को चुनना होगा। जो उम्मीदवार इन दोनों प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी केवल हिन्दी में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार प्रश्न-पत्रों को अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी सभी उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र (1) सामान्य अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा।

टिप्पणी 1 : जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में (II) निबन्ध तथा (III) सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों, में यह विकल्प आवेदन पत्र में कालम 6 में लिखें, अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाएं अंग्रेजी में लिखेगा। एक बार का विकल्प अंतिम समझा जाएगा, और उक्त कालम में कोई परवर्तन करने का अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2 : ऐसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपिक की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपिक और जो आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप में सीखनी पड़ेगी।

टिप्पणी 3 : जो उम्मीदवार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षाएं देने के लिये विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशनों में जहां ऐसी परीक्षाएं लेने के आवश्यक प्रबन्ध हों, जाना पड़ सकता है।

टिप्पणी 4 : उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में उत्तर लिखने अथवा आशुलिपि की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले टिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुसार रखा जाएगा। [निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें]।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

7. केवल उन्हें उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किये गये न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

8. केवल सतही ज्ञान के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

9. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के .5 प्रतिशत अंक तक काट लिये जायेंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेषतया लाभ दिया जाएगा कि भावाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण

(भाग—क)

टिप्पणी :—भाग "क" के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय को "मैट्रीकुलेशन" परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी—यह प्रश्न-पत्र इस रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध लेखन, सार लेखन, मसौदा लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और उपसर्ग (प्रीपोजीशन), डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किये जा सकते हैं।

निबन्ध—कई निर्धारित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

सामान्य ज्ञान—निम्नलिखित विषयों का कुछ ज्ञान :—

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामान्य घटनायें, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों से किसी पाठ्य-पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग—ख

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करनी होगी।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करनी होंगी।

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 1983

सं० 3/2/82-बी ओ० III एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1976 के बाद से शुरू हुई विभागीकृत लेखा प्रणाली और राजस्व संग्रहण स्कीम के तहत भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहायक बैंकों और राष्ट्रीयकृत

बैंकों से की गई विशेष व्यवस्थाओं के अध्यधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद और भुवनेश्वर कार्यालय 4 अप्रैल, 1983 से अहमदाबाद और भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार के कार्य को भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों से ग्रहण कर लेंगे।

एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1983

संशोधन

विषय :—गोसंवर्धन परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन।

सं० 22-1/81-एल० डी० टी०—भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के 11 मार्च, 1982 के संकल्प संख्या 22-1/81-एल० डी० टी० के अनुक्रम में भारत सरकार ने गोसंवर्धन परामर्शदात्री परिषद के मौजूदा सदस्यों के अलावा और सदस्यों को प्रतिस्थापित करके परिषद् के गठन में निम्नलिखित रूप में संशोधन करने का निर्णय लिया है :—

1. क्रम संख्या 1 से 10 में दिये गये राज्य सरकार, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाओं के निदेशकों के नामांकनों को कैलेण्डर वर्ष, 1983 के दौरान क्रमशः हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० 51-4/83-एल० डी० टी० (आर० पी०)—भारत सरकार ने देश से पशुप्लेग के उन्मूलन के लिए समयबद्ध कार्यकारी योजना तैयार करने के लिए एक कृतिक बल का गठन करने का निर्णय लिया है। कृतिक बल के सदस्य परिशिष्ट-1 में दी गई सूची के अनुसार होंगे। कृतिक बल देश में उपयुक्त स्थानों पर अपनी बैठकें करेगा। कृतिक बल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(1) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध तकनीकी मानवशक्ति तथा सामग्री के मौजूदा संसाधनों का निर्धारण करना।

(2) समयबद्ध अनुसूची के रूप में देश से पशुप्लेग उन्मूलन के लिए विस्तृत कार्यकारी कार्यक्रम की सिफारिश करना।

कृतिक बल इसके गठन होने के छः मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों तथा भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों के सचिवों व पशुपालन निदेशकों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० एम० कोहली,
अवर सचिव

परिशिष्ट-1

कृतिक बल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सूची

1. डा० सी० एम० सिंह — अध्यक्ष
निदेशक,
भारतीय पशुचिकित्सा,
अनुसंधान संस्थान
(सेवा निवृत्त)

2. डा० आर० पी० बन्सल — सदस्य
वैज्ञानिक,
भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
इज्जत नगर।

3. डा० जी० के० रायचौधरी, — सदस्य
प्रोफेसर औषधि विज्ञान,
पशुचिकित्सा महाविद्यालय,
गोहाटी

4. डा० जी० सी० जुनेजा, — सदस्य
निदेशक (पशु पालन),
मध्य प्रदेश (सेवा निवृत्त) तथा
भूतपूर्व मुख्य खाद्य और कृषि संगठन,
रोम।

5. डा० जे० एम० लाल, — सदस्य
वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली।

6. डा० बी० एस० केशवमूर्ति, — सदस्य
निदेशक,
पशु स्वास्थ्य तथा पशुचिकित्सा जैविक संस्थान,
हेब्बल, बंगलौर।

7. कैप्टन जे० एम० बुजरबरुआ, — सदस्य
निदेशक (पशु पालन तथा पशुचिकित्सा सेवाएं),
(सेवा निवृत्त),
असम।

8. डा० एम० सी० माथुर, — संयोजक
उपायुक्त (पशुधन स्वास्थ्य),
कृषि मंत्रालय,
(कृषि और सहकारिता विभाग),
नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1983

संकल्प

सं० 14027/7/83-मात्स्यकी (तक०-1)—कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के तीन अधीनस्थ संगठनों अर्थात् (i) समेकित मात्स्यकी परियोजना, (ii) समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना, तथा (iii) केन्द्रीय मात्स्यकी नाविक और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, के कार्यकलापों के उपयुक्त प्रबन्धक और समन्वय के लिए भारत सरकार ने तत्काल से उपरोक्त तीनों संगठनों के लिए एक प्रबंध-समिति गठित करने का निर्णय लिया है। प्रबंध समिति का गठन तथा उसके कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

(1) अपर सचिव, — अध्यक्ष
प्रभारी—मात्स्यकी

(2) वित्त सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग — सदस्य

(3) समेकित मात्स्यकी परियोजना, समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना तथा केन्द्रीय मात्स्यकी नाविक और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, संस्थान के निदेशक। — सदस्य

(4) संयुक्त सचिव, प्रभारी—मात्स्यकी — सदस्य-सचिव

कार्य :—

(1) नीति संबंधी सभी मामलों पर विचार करना तथा उन्हें मंजूर करना, वरीयतायें देना और संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संगठनात्मक परिवर्तन लाना;

(2) सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए तीनों संगठनों का बजट मंजूर करना;

(3) वार्षिक कार्यक्रमों में, जिनमें पुनर्विनियोजन की शक्तियों के प्रतिबन्धों के अनुसार स्वीकृत कार्यक्रम से संबंधित धनराशि का पर्याप्त रूप से पुनःनियतन किया जाना शामिल है, परिवर्तन करने पर विचार करना तथा उन्हें मंजूर करना;

(4) कार्मिक प्रबंधक से संबंधित सभी मामलों के संबंध में नीतियों की सिफारिश करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना।

(5) वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के नियम, 1978 के तहत उपयुक्त रूप से प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को प्रयोग करना।

2. प्रबंध समिति को ऐसे नीति निर्देशक सिद्धान्तों का पालन करना होगा जो इन तीनों संगठनों के संबंध में किसी भी मामले पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायें।

3. प्रबन्ध समिति को इस प्रकार कार्य करना होगा तथा ऐसी रिपोर्टें तथा सूचनायें प्रस्तुत करनी होंगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर निर्देश दे।

4. प्रबन्ध-समिति जब भी आवश्यक हो अपनी बैठकें किया करेगी, किन्तु तीन महीने में कम से कम एक बार इसकी बैठक अवश्य करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा महानिदेशक नौवहन को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० पी० जाखनवाल, संयुक्त सचिव

पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1983

संकल्प

सं० पी०-3 26(2)/75 पूर्ववर्ती पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय (पूर्ति विभाग) संकल्प संख्या पी० 3 26(2)/75 दिनांक 3-6-1981 में निम्नलिखित संशोधन किये जायें:—

"पैरा —1 में, निम्नलिखित को मद (7)(क) के रूप में सम्मिलित किया जायें:—

(7)(क) भारत की लघु उद्योग निगम परिषद का एक प्रतिनिधि

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय क्रय सलाहकार परिषद के सभी सदस्यों को, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

सी० एन० रामन, उप सचिव।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च, 1983

सं० क्यू०-16015/1/82-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०)—राष्ट्रीय श्रम संस्थान का पुनर्गठन अधिसूचना संख्या क्यू०-16015/1/82-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०) तारीख 29/30 अक्तूबर, 1982 द्वारा अधिसूचित किया गया।

उक्त अधिसूचना के अन्तिम पैरा में यह कहा गया था कि संसद के सदस्यों, ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, नियोजकों के प्रतिनिधियों आदि के नाम बाद में अधिसूचित किए जायेंगे।

अनुवर्ती अधिसूचना सं० क्यू०-16015/1/82-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०) तारीख 3-11-1982 तथा 17 नवम्बर, 1982 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, तीन संसद सदस्यों, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, तथा दो नियोजक प्रतिनिधियों के नाम अधिसूचित किए गए थे।

अतः अब जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्ति राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान की सामान्य परिषद् को सेवा करेंगे:—

संसद सदस्य

(1) श्री एम० बामावाराजू, 16, सी० एफ० शाह रोड, नई दिल्ली। — संसद सदस्य (राज्य सभा)

ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है

(i) श्री के० आर० रामचन्द्रन, 371, एच० ए० एल० सैकंड स्टेज, बंगलौर-560038।

(ii) डा० पी० प्रसाद अणुग्रह नारायण, सिन्हा इंस्टीच्यूट, पटना, और

(iii) प्रो० राम नारायण सक्सेना, उप-कुलपति, काशी, विद्यापीठ, वाराणसी।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्री एम० वाई शियानिगम, श्रमायुक्त, तमिलनाडु सरकार, मद्रास।

(i) श्रमिकों के एक प्रतिनिधि, (ii) विधान सभा के दो सदस्यों और (iii) एक संसद सदस्य के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे

एम० एम० आर० जैदी, श्रम और पुनर्वास सलाहकार।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 18th March 1983

No. 24-Pres./83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh :—

Names and rank of the officers

Shri Mool Chand, *Posthumous*
Inspector of Police,
District Kanpur, Dehat,
Uttar Pradesh.

Shri Indrapal Chand,
Deputy Superintendent of Police,
District, Jalaun,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decorations have been awaraed.

On the 23rd February, 1981, at about 19.00 hours, Shri Indrapal Chand, Deputy Superintendent of Police District Jalaun, received information that the gang of dacoit Phoolan Devi and gang of dacoit Balwan were riding near village Barni and village Barknera respectively. Shri Indrapal Chand informed the Superintendent of Police. He left for the hide-out of the dacoits with Police force available. But before the police could take up position, it was learnt that the gang of dacoit Phoolan Devi had escaped. The Police force was divided into six groups. Shri Indrapal Chand was the Incharge of Police party No. 4, which was entrusted with the task of raiding the hide-out of Balwan gang from the side of village Resoolpur. Balwan and his gang, which were spotted in the Arhar field were challenged. The dacoits started a volley of fire on the Police who also fired on the dacoits. In the meantime the dacoits ran towards village Parasan. Shri Indrapal Chand chased the dacoits across the field and furrows for nearly 32 Kms. He was successful in getting released a person kidnapped by this gang.

When the dacoits were being chased by the Police parties No. 4, 5 & 6, Shri Mool Chand, Inspector of Police, District Kanpur, Dehat, was sent to village Parasan to assist the raiding party by the canal road. He cordoned off the area from the side of village Chandyut on river Betwa. At about 10.00 A.M., on 24th February, 1981, when the dacoits wanted to cross the river, they were challenged by the Police party. The dacoits then took shelter in a pit of brick kiln. The firing between the Policemen and dacoits continued for sometime. After sometime Shri Mool Chand alongwith two Sub-Inspectors of Police dashed towards a stack of clay bricks near the pit so that they could fire on the dacoits effectively. When the Police party dashed towards the stack of clay bricks in the open, the dacoits opened a volley of fire on them. One of the shots hit Shri Mool Chand on his leg and he fell down on the ground in the open. In disregard of his injury, he fired two shots on the dacoits. A cry was heard from the dacoits 'Mar Gaya'. In the meantime a shot hit Shri Mool Chand on his head and he was killed on the spot.

On the northern side Shri Indrapal Chand crawled in the open and launched an attack on the dacoits. Six dacoits were killed in the encounter.

In the encounter with the dacoits Shri Indrapal Chand and Shri Mool Chand exhibited conspicious gallantry, exemplary courage and exceptional devotion to duty.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd February, 1981.

No. 25-Pres./83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermnetioned officers of Uttar Pradesh :—

Names and rank of the officers

Shri Uma Shankar Bajpai,
Superintendent of Police,
District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Shri Dhruv Lal Yadav,
Sub-Inspector of Police,
Station Officer of P.S. Kalpi,
District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Shri Ramayan Singh,
Sub-Inspector of Police,
Station Officer, Kadaura,
District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Shri Vinod Kumar Udainia,
Second Officer, PS Bhognipur,
District Kanpur, Denat,
Uttar Pradesh.

Shri Dharam Raj Rai,
Constable 15674,
'D' Coy, XI Battalion,
Pradeshik Armed Constabulary,
Sitapur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decorations have been awaraed.

On the 23rd February, 1981, at about 19.00 hours, information was received by the Police that the gang of dacoit of Phoolan Devi and the gang of dacoit Balwant was hiding near village Barknera. On receipt of the information, Police force was mobilised and was divided into six parties. One of these parties was headed by Shri Uma Shankar Bajpai, Superintendent of Police, District Jalaun, himself. On arrival at the spot, the Police learnt that the gang of dacoit Phoolan Devi had escaped. The Police parties took up their positions sometimes after midnight. At about 6.30 in the morning of 24th February, the gang of Dacoit Balwant was sighted in the Arhar field. The dacoit were challenged but they started a volley of fire on the Police. They started running South and South West and took up positions near village Parasan where they were trapped by various Police parties. While Shri Indrapal Chand, DSP, took position in the north, Shri Uma Shankar Bajpai covered the dacoit gang from the West or the South-West. On the Southern side they were covered by Shri Jai Dyal Chandel. Eastern flank was uncobered. Shri Mool Chand, Shri Ramayan Singh, Sub-Inspector of Police, Station Officer, Kadaura, District Jalaun and Shri Vinod Kumar Udainia, Second Officer, PS Bhognipur, District Kanpur, Dehat, broke away from the parent party in order to cover the North-Eastern of Eastern flank. Shri Dhruv Lal Yadav, Sub-Inspector of Police, Station Officer of PS Kalpi, District Jalaun, formed another group and took up position on the East-South-East-side. The dacoits had, at this point, taken position inside the brick kiln behind two parallel stacks of unbaked bricks. They fired on the Police party. In order to take up an advantageous position Shri Mool Chand, Shri Ramayan Singh and Shri Udainia rushed into the open to take up a position behind another stack of unbaked bricks. Shri Mool Chand was hit by a bullet and was killed on the spot. Shri Ramayan Singh and Shri Udainia were, however, able to reach their postion and kept on firing on the dacoits. However, they soon ran short of ammunition. In the meantime taking advantage of the position one of the dacoits crawled up to the place where Inspector Mool Chand was lying dead, collected his rifle and ammunition and dashed back to the pit. They once again started firing on the Police. Seeing the predicament of their colleagues, Shri Dhruv Lal Yadav rushed out in the open and joined Shri Ramayan Singh and Shri Udainia with fresh fire power. Shri Bajpai also observed the above position from the opposite side and in disregard of his

personal safety took up position behind the second stack of bricks on the Western side. In the encounter six dacoits were killed.

In the above encounter Shri Dharam Raj Rai, Constable No. 15674 'D' Coy, XI Battalion, PAC, accompanied Shri Indrapal Chand who was heading one of the Police parties. Shri Rai crawled right into the open alongwith Shri Indrapal Chand and launched an attack on the dacoits.

In the encounter with the gang of dacoit Balwan, Shri Uma Shankar Bajpai, Shri Dhruv Lal Yadav, Shri Ramayan Singh, Shri Vinod Kumar Udainia and Shri Dharam Raj Rai exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd February, 1981.

No. 26-Pres./83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Virendra Pratap Singh,
Sub-Inspector of Police,
PS Rampura,
District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Shri Dinesh Chand Chaturvedi,
Sub-Inspector of Police,
PS Madhogarh,
District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 21st February, 1981, Shri Virendra Pratap Singh, Sub-Inspector of Police, PS Rampura, Distt. Jalaun, received information that dacoit Jagram and his gang were present in the house of one Shri Ganesh Prasad of village Udyotpura. Shri Singh immediately collected the civil police and PAC force and rushed to the spot. He cardoned off the hiding place of the gang in village Udyotpura. While Shri Singh was in the process of surrounding the hide-out of the dacoits, the dacoits fired at the Police. An encounter ensued between the Police and the dacoits. Shri Singh scaled over the tiled roof of the house alongwith other police personnel in order to obtain a better position. The dacoits also tried to climb the roof of the house but were challenged by the police party. Two of the dacoits were killed in the encounter. The remaining seven dacoits went back inside the house and continued heavy firing on the police party. The dacoits made an attempt to escape through the main door of the house under the cover of heavy firing through the holes in the door panel. Shri Dinesh Chand Chaturvedi, Sub-Inspector of Police, PS Madhogarh, District Jalaun, took up position on the main door and launched a frontal attack on the dacoits and contained them inside the house. He did not allow them to escape. He crawled up and took a position behind a platform (Chabutra) which was luckily available in front of the door. He kept on firing on the dacoits. Reinforcement was obtained. After the arrival of the reinforcement a further attack was launched on the dacoits and all of them were liquidated.

In the encounter with the dacoits Shri Virendra Pratap Singh and Shri Dinesh Chand Chaturvedi exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st February, 1981.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 10th March 1983

RESOLUTION

F. No. A.11013/1/81-Ad.I.—Government have decided to extend the term of the Economic Administration Reforms Commission, which was set up for a period of two years vide this Secretariat Resolution No. 6/3/1/81-Cab. dated 5.3.81, till 30.6.83.

2. Government have further decided that the Economic Administration Reforms Commission will continue for one more year with effect from 1.7.83 as a One-Man Commission under the Chairmanship of Shri L. K. Jha.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

R. PARAMESWAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 2nd April 1983

No. 10/1/83-CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade C of tse Central Secretariat Stenographers Service, Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B), Grare C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service to be held by the Staff Selection Commission in 1983, are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of the vacancies as may be fixed by the Government.

Scseduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, The State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 the Constitution (Jammu & Kassmir) Scheduled Castes Order, 1956, The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Schedules Castes Order, 1968, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Schedules Castes Order 1978, and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and tse places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. *Conditions of eligibility*—Any permanent or temporary regularly appointed Officer, belonging to Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/ Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only that is Grade 'D' Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Service, Grade III Stenographers of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for the Vacancies in Grade II of the Stenographers' of the Sub-Cadre of the Indain Foreign Service (B) the Grade 'D' Stenographers of the Armed Forces Headquarters 'Stenographers' service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' service and the Grade 'D' of the Stenographers of the Railway Board Secretariat Stenographers' service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers' service.

(a) *Length of Service*—He should have, on the crucial date that is on 1-1-1983 rendered not less than 3 years approved and continuous service in Grade D or Grade III of the Service.

NOTE.—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority, and those having a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers Sub-cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Grade III of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of the competitive examination, including a limited departmental competitive examination, the result of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years approved and continuous service in the Grade.

(b) *Age*—He should not be more than 50 years of age on the 1st January 1983 ie., he must not have been born earlier than 2nd January, 1933.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 26th March, 1971);

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (but before 26th March, 1971);

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Serivces personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof :

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence services personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations, during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations, during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975; and

(xv) upto a maximum of eight years if the candidate belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) *Stenography Test*—Unless exempted form passing the Commission's Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service, he should have passed the Test on or before the date of notification of the examination.

NOTE.—Grade D or Grade III Stenographers who are on deputation of ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/ Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

8. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorerct or false, or supressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in four separate lists, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select Lists of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B), Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service up to the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in Select Lists or Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

12. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this Examination.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum marks
(i) General English	1½ hours	50
(ii) Essay	1½ hours	50
(iii) General knowledge	3 hours	100

Part B—SHORT HAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST), 200 Marks.

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

Part C—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers (ii) Essay and (iii) General Knowledge, either in Hindi or English and the medium opted (i.e. Hindi or English) should be the same for both the papers mentioned above. Candidates who opt to answer both these papers in Hindi will be required to take the shorthand tests also in Hindi and those who opt to take them in English will be required to take the shorthand tests also in English. Paper (i) General English must be answered by all the candidates in English.

NOTE 1—Candidates desirous of exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intentoin to do so in Col. 6 of the application form otherwise it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Test in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be ordinarily entertained.

NOTE 2—Candidates who opt to take the shorthand test in Hindi will be required to learn English stenography, and vice versa after their appointment.

NOTE 3—A Candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

NOTE 4—No credit will be given for answers written or Shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART-A

Standard and Syllabus of the Written Test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English—The paper will be designed to test the candidates' knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement of general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on precis writing, drafting, correct use of words, essay, idioms and prepositions, direct and indirect speech, etc.

Essay—An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge—Some knowledge of the Constitution of India Five Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, curent events, every day science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any textbook.

PART-B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand test in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transecribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi, will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 25th March 1983

No. 3/2/82-B.O.III.—It is hereby notified that with effect from 4th April, 1983, the Central Government work at Ahmedabad and Bhubaneswar will be taken over from State Bank of India/State Bank of India subsidiaries by the Ahmedabad and Bhubaneswar offices of Reserve Bank of India subject to special arrangements made with State Bank of India, its subsidiaries and nationalised banks under the departmentalised system of accounts and revenue collection scheme introduced from 1st April, 1976 onwards.

N. D. BATRA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th March 1983

AMENDMENT

SUBJECT :—Reconstitution of Gosamvardhana Advisory Council.

No. 22-1/81-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 22-1/81-LDT dated 11th March, 1982 published in the Gazette of India, Part I, Section 1, Govt. of India have decided to amend the composition of the Gosamvardhana Advisory Council by substituting the Members in addition to other existing Members as follows :—

1. Nominations from the State Govt., Directors of Animal Husbandry & Vety. Srvices at Sl. Nos. 7 to 10 shall be substituted during the calendar year 1983 by the Directors of Animal Husbandry & Vety. Service, Govt. of Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh respectively.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments/Administrators of U.Ts. and the Departments of Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Sectt., Prime Minister Sectt., Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt. and other concerned organisations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. S. KOHLI,
Additional Secy.

New Delhi, the 11th March 1983

RESOLUTION

No. 51-4/83-LDT(RP).—Government of India have decided to constitute a Task Force to draw a time-bound action plan for eradication of rinderpest from the country. The members of the task force will be as per list given in Appendix I. The task force will meet at suitable places in the country. The terms of reference of this task force are :

(1) To assess the existing resources in technical manpower and materials available with various States and Union Territories.

(2) To recommend detailed action programme for eradication of rinderpest from the country as a time-bound schedule.

The Task Force will submit its report within six months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Secretaries and Directors of Animal Husbandry in the State Governments, Administrations of Union Territories and Departments and the Ministries of the Government of

India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. S. KOHLI, Addl. Secy.

APPENDIX I

List of Chairman and the Members of the Task Force

Chairman

1. Dr. C. M. Singh, Director, IVRI (Retired).

Members

2. Dr. R. P. Bansal, Scientist, IVRI, Izatnagar.
3. Dr. G. K. Roy Choudhary, Prof. of Medicine, Veterinary College, Gauhati.
4. Dr. G. C. Juneja, Director (Animal Husbandry), Madhya Pradesh (Retired) & Ex-Chief, FAO, Rome.
5. Dr. J. M. Lall, Scientist, ICAR, New Delhi.
6. Dr. B. S. Keshavamurthy, Director, Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Hebbal, Bangalore.
7. Capt. J. M. Bujarbaruah, Director (Animal Husbandry & Veterinary Services) (Retired), Assam.

Convener

8. Dr. S. C. Mathur, Deputy Commissioner (Livestock Health), Ministry of Agriculture, (Deptt. of Agriculture & Cooperation), New Delhi.

New Delhi, the 4th March 1983

RESOLUTION

No. 14027/7/82-Fy(T-1)—For the proper management and co-ordinating the activities of the 3 Subordinate organizations of the Department of Agriculture & Co-operation, Ministry of Agriculture namely (i) Integrated Fisheries Project; (ii) Explanatory Fisheries Project; and (iii) Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training, the Government of India have decided to constitute a Management Committee for the above-mentioned 3 organizations with immediate effect The constitution and functions of the Management Committee will be as under :—

Chairman

(i) Additional Secretary in-charge of Fisheries.

Members

(ii) Financial Adviser, Department of Agriculture & Cooperation.

(iii) Directors, Integrated Fisheries Project, Explanatory Fisheries Project and Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training.

Member-Secretary

(iv) Joint Secretary in-charge of Fisheries.

FUNCTIONS :

(i) to consider and approve all policy matters, lay down priorities and introduce the organizational changes necessary to meet the requirements of the organizations;

(ii) to approve the Budget of the three organizations for presentation to the Government;

(iii) to consider and approve changes in the Annual programmes, involving substantial re-allocation of funds in relation to approved programme subject to restrictions on powers of re-appropriation.

(iv) to recommend and implement policies regarding all matters pertaning to personnel management;

(v) to exercise financial powers as may be appropriately delegated under the Delegation of Financial Powers Rules, 1978.

2. The Management Committee shall carry out such directives as the Government of India may issue from time to time on any matter pertaining to these 3 organizations;

3. The Management Committee shall function in such a manner and shall furnish such reports and information as the Government may from time to time direct.

4. The Management Committee shall meet as often as is necessary but not less than once in a quarter.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, all Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenue, the Director of Commercial Audit, the Indian Council of Agricultural Research, and Director General Shipping;

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. JAKHANWAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF SUPPLY

New Delhi, the 22nd February 1983

RESOLUTION

No. PIII-26(2)/75.—In the erstwhile Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Supply) Resolution No. PIII-26(2)/75, dated the 3rd June, 1981 the following amendment may be carried out :—

"In para 1 the following may be added as item (vii) (A) :—

(vii) (A) One representative from the Council of Small Industries Corporations in India."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all the members of the Central Purchase Advisory Council and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

C. N. RAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 8th March 1983

No. O-16015/1/82-WE(NLI).—WHEREAS reconstitution of the National Labour Institute was notified vide Notification No. O-16015/1/82-WE(NLI), dated the 29th/30th October, 1982.

WHEREAS in the said Notification it was mentioned in the last para that names of Members of Parliament, persons who have made noteworthy contribution in the field of labour, Employers' representatives etc. will be notified later.

WHEREAS in the subsequent Notifications No. O-16015/1/82-WE (NLI), dated the 3rd November, 1982 and 17th November, 1982, the names of the Chairman, University

Grants Commission three Members of Parliament : one eminent person who has made noteworthy contribution in the field of labour and two Employers' representatives were notified.

NOW, THEREFORE, it is notified for the information of Public that the following persons shall serve on the General Council of the National Labour Institute with effect from the date of issue of Notification :—

Member of Parliament

(i) Shri M. Basavaraju, 16 CF Shah Road, New Delhi. — Member of Parliament (Rajya Sabha)

Eminent persons who have made noteworthy contribution in the field of labour

(i) Shri K. R. Ramachandran, 371, HAL, 2nd Stage, Bangalore-560038;

(ii) Dr. P. Prasad, Anugrahnarayan Sinha Institute, Patna; and

(iii) Prof. Ram Narayan Saksena, Vice-Chancellor, Kashi Vidyapeeth, Varanasi.

State Government Representative

Shri M. Vaithialingam, Commissioner of Labour, Government of Tamilnadu, Madras.

The name(s) of (i) one representative of Workers; (ii) two Members of Legislative Assembly and (iii) one Member of Parliament will be notified later.

S. M. R. ZAIDI, Labour & Employment Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983